कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकों की भूमिका

शोधपत्र

*डॉ. डी. के. सिंघल ** डा. श्रीमती अमिता सिंघल

''भारत गांवों का देश है इसकी आत्मा गांवों में निवास करती हैं।'' यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि विकसित शहरी क्षेत्र प्रधान होते है जबकि विकासशील देश ग्रामीण क्षेत्र प्रधान होते है। भारत में दूसरी व्यवस्था विद्यमान है यहाँ गावों की संख्या अधिक है जहाँ पर जनसंख्या का 74 प्रतिशत भाग रहता है। देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गांवों में बसा है यदि गांव बर्बाद होगें तो भारत का भी विनाश हो जायेगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनेक विशेषताऐं है। इसका मेरूदण्ड कृषि है अधिकांश ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन खेती–बाड़ी है। भारत की कुल श्रम शक्ति का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किए हुए है। राष्ट्रीय आय में ग्रमीण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की प्रधानता है। भारतीय निर्यातों में एक चौथाई मात्रा ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित सामग्री की है।

यदि हम परम्परागत ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को गोर करे तो ज्ञात होता है कि ये समुदाय आत्म सम्पन्नता तथा आत्म निर्भरता के सिद्धान्त में गहन आस्था रखता है। एक गांव यथा संभव स्वंय ही और यदि संभव हुआ तो आस–पड़ौस के गांवों के साथ मिलकर एक आर्थिक इकाई के रूप में रहने का प्रयास करती है। निःसंदेह यह विचारधारा श्रेष्ठ है किन्तु इसके असफल होने के कारण आर्थिक विकास की दौड़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी पीछे छूटने लगी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विदेशी सरकार, राजाओं व शासकों ने अपने–अपने विवेक, इच्छा व स्वार्थ से दोहन किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लगातार प्रयास जारी हैं। सरकार ने विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है। ग्रामीण विकास के संकल्पित लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हुए ,हालांकि अनेक बार योजनाओं की प्राथमिकता में परिवर्तन अवश्य हुआ है।

ग्रामीण विकास का संबंध मुख्यरूप से कृषि, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य बढ़ती हुई जनसंख्या, लघु व कुटीर उद्योग , रोजगार और आधुनिक तकनीक से जुड़ा हुआ है। इन सभी क्षेत्रों के विकास हेतु अनेक योजनाएं चलायी जा रही है किन्तु ये योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी के चलते प्रभावहीन रही है। ग्रामीण विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है।ग्रामीणों को कृषि व गैर कृषि संबंधी कार्यों को पूर्ण करने के लिए आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता है। ग्रामीणों को कृषि कार्य के लिये अल्पकालीन, सावधिक व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन वित्त सहायता की आवश्यकता बीज,खाद, कीटनाशक व फसल कटाई के लिये होती है जबकि मध्यकालीन वित्त सहायता कृषि उपकरणों प ु एवं सिंचाई साधनों को खरीदने के लिए होती है। दीर्घ कालीन वित्त सहायता की आवश्यकता भूमि क्रय व सिंचाई, सुधार, नलकूप लगाने, कुओं के निर्माण, ट्रेक्टर खरीदने आदि की पूर्ति हेतु होती है । इस प्रकार की वित्त सहायता के अभाव में कृषि का सही प्रतिफल मिलना संभव नहीं है।

ग्रामीणों को गैर कृषि कार्यों ग्रामीण व कुटीर उद्योगों की स्थापना, दूध उत्पादन व्यवसाय,मुर्गीपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, बायो गैस संयंत्र स्थापना, छोटे तालाब निर्माण, नलकूप खनन इत्यादि के लिये वित्त की सहायता की सख्त आवश्यकता होती है। ग्रामीणों की कृषि व गेर कृषि कार्यों के लिए वित्त आवश्यकता के महत्व को ध्यान रखते हुए सरकार ने इस ओर स्वतंत्रता के बाद से लगातार प्रयास किये। सन् 1951–52 में भारत सरकार द्वारा गठित''अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति '' के प्रतिवेदन से ग्रामीण ॠण ग्रस्तता की भयावह स्थिति की

* प्राध्यापक वाणिज्य, एस.एन.पी.जी. महाविद्यालय, खण्डवा [म.प्र.]
** प्राध्यापक रसायन मा.ला.च. शास. कन्या महाविद्यालय, खण्डवा [म.प्र.]

जानकारी के आधार पर इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम देकर, राष्ट्रीय आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही सहकारिता आन्दोलन की शुरूआत कर, सहकारी बैकों तथा भूमि विकास बैकों की स्थापना के सतत प्रयास किये गये ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धीमी गति को तेज गति प्रदान की जा सके। किन्तु जनसंख्या वृद्धि अशिक्षा, बेरोजगारी,भूखमरी, इत्यादि के कारण यह प्रयास कमजोर रहे, ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय कमी की स्थिति से मुक्ति दिलाने की दृढ़प्रतिज्ञा रखने वाली तात्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 जनवरी 1969 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर 14 प्रमुख व्यावसायिक बैकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण विकास में अचानक तीव्र गतिशीलता आई क्योकिं इन बैकों के कन्धों पर भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण दायित्व सौंप दिया गया। बैकिंग सेवाओं द्वारा सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों तक बैकों की शाखाओं का विस्तार हुआ। राष्ट्रीयकरण के पूर्व देश में जहाँ वाणिज्यिक बैंको की कुल 8262 शाखाएँ थी वह 30 जून 2008 तक बढ़कर 76518 हो गई। अब लगभग प्रति 15000 जनसंख्या पर 1 बैंक कार्यरत है।

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियाँ विशेष रूप से लघु व सीमान्त कृषक, खेतीहर मजदूर, दस्तकार एवं लघु व्यवसायी तथा इनसे संबंधित अन्य व्यवसायों को साख एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बांग्लादेशीय मॉडल के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का शुभारम्भ किया गया, जो देश में ग्रामीण साख के क्षेत्र में एक अनिभव परिवर्तन था। 31 मार्च 2008 तक यह बैंकें 25 राज्यों के 586 जिलों में फैल गयी । इन बैंकों की लगभग 14790 शाखाऐं है इनके द्वारा 31 मार्च 2008 तक कुल 59751 करोड़ रूपये के ऋृण व अग्रिम प्रदान किये गये। रिजर्व बैंक इन बैकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता व रियायतें देता है। इसी तारतम्य में जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गयी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुर्नवित्त परियोजनाओं के प्रशासन, उनके कार्य निष्पादन की देखरेख, शाखा विस्तार तथा कानूनी निरीक्षण के लिए रिजर्व बैंक के साथ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

नाबार्ड ,कृषि ,लघु स्तर उद्योगों, कुटीर व ग्राम उद्योगों ,हस्तशिल्पों और अन्य ग्राम दस्तकारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित पुर्नवित्त प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। नाबार्ड, ग्रामीण विकास हेतु वित्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों , राज्य सहकारी बैकों, व राज्य सरकारों को मुहैया कराता है। सहकारी बैंकें भी ग्रामीण वित्त प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। ग्राम के निचले स्तर से उच्च स्तर तक सहकारी बैंकों की संगठन व्यवस्था सुव्यवस्थित है। सहकारी बैकों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, जिला स्तर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक व राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। 31 मार्च 2008 तक देश में 31 राज्य सहकारी बैंक, 371 जिला सहकारी बैंक व 98343 प्राथमिक साख समितियाँ कार्यरत थी। इन सहकारी संस्थाओं द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीणों को ऋृण प्रदान करने में सशक्त भूमिका निभाई जा रही है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड लागू की ।

इस योजना का उद्धेश्य किसानों को अल्पकालीन उधार उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से भी सभी बैंकें ग्रामीण वित्त हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 31 मार्च 2008 तक भारत में 76.07 मिलियन किसान कार्ड निर्गमित किये गये । इनमें से 10.05 मिलियन किसान कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, 34.81 मिलियन किसान कार्ड सहकारी बैकों द्वारा एवं 31.21 वाणिज्यक बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित किये । इन किसान कार्डो को निर्गमित कर 48,63,346 लाख रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । इसमें से म.प्र.में वितरित श्रृण राशि 7,56,483 लाख रु.है।

वाणिज्यिक बैकें ,ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्तयव्यवसायी स्वरोजगार योजना, खादी व ग्रामोद्योग योजना, मत्स्य पालन योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, इत्यादि के माध्यम से सहायता कर रही हैं । ग्रामीण क्षेत्र के लघु व कुटीर उद्योगों व अन्य संबंधित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे–उन्नत बीज पर अनुदान, व हद फसल योजना, राज्य गन्ना विकास योजना, सघन अनाज, विकास कार्यक्रम,दलहान विकास कार्यक्रम, केन्द्रीय पोशित सघन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन विकास कार्यक्रम, गोबर कम्पोस्ट खाद प्रोत्साहन योजना, बायोगैस विकास परियोजना ,कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवीन कूप निर्माण हेतु प्रावधान, नलकूप पर अनुदान, एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम छोटे तालाब व स्टॉप डेम निर्माण, कुआं निर्माण व सिंचाई संसाधनों का विकास, असफल कुओं पर अनुदान, सामूहिक उदवहन सिंचाई योजना, ग्रामों में बिजली लाईन डालने हेतु राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान, वर्षा आश्रित राष्ट्रीय

जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना, ट्रेक्टरों पर अनुदान, कृषि विस्तार परियोजना, सिंचाई पम्पों के कम क्षमता वाले नॉन आई. एस. आई फुटबाल को बदलना इत्यादि योजनाओं के लिये बैकिंग साख प्रदान कर रही है। बैकों द्वारा प्रदत्त वित सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों की दशा व दिशा परिवर्तन हो रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगे बैकों की लाभदायता में कमी आने के प्रश्न यदाकदा उठाये जाते है, किन्तु बैकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जो योगदान दिया गया है, वह अमूल्य है जिसका आकलन करना कठिन है। बैकों की भी अपनी कुछ सीमाएं व समस्याएं हैं। वसूली की समस्या एक प्रधान समस्या है किन्तु इसके लिए हमारी सामाजिक सरंचना व घोर अशिक्षा ही अधिक उत्तरदायी है।

गत वर्षों में ''गरीबों के साथ बैकिंग'' व्यष्टि वित्त (माइक्रो फायनेन्स) की नयी पद्धति लागू की गयी है और इसमें निम्न सौंदा लागत के साथ ,वसूली के ऊंचे अनुपात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है इस व्यष्टि वित्त उपायों का उद्देश्य स्वसहायता समूहों व गैर सरकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के साथ वित्त सुविधा के इस स्वसहायता समूह संयोजन प्रोग्राम को विभिन्न बैकों के माध्यम से 520 जिलों में लागू किया है।

ग्रामीण व कृषि क्षेत्र की आवश्यकताएँ लगभग 1,00,000 करोड़ रू. के बीच आंकी गयी है। इस दुर्लभ कार्य की जिम्मेदारी वाणिज्यक बैकों व सहकारी समितियों पर डालने की योजना है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण विकास के महत्व को ध्यान रखते हुए बैकें इस क्षेत्र में अपने सीमित संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करें आगामी वर्षों में भारत के हर गांव तक बैकों की शाखाओं का विस्तार करना होगा ताकि बैकें कृषि विकास एवं ग्रामीणों की दशा सुधारने में सक्रिय योगदान दे सके। विकास में गतिशीलता निहित है। दिनोदिन बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्कता को देखते हुए बैकिंग प्रणाली से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है। बैकों द्वारा ग्रामीणों को उचित समय पर कम लागत पर पर्याप्त ऋृण उपलब्ध कराना एवं ऋृण आवेदकों का बेहतर मूल्यांकन कर उनमें ऋृण लौटाने की संस्कृति विकसित करना होगी, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का सामाजिक दायित्व पूर्ण करने में बैंक सफल होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. RBI - REPORT ON TREND AND PROGRESSOF BANKING IN INDIA 2007-08
2- Rural India –Real India - Shri N.K.Thingalaya
3- Agricultureal Finance in India – Shri Umesh Chandra Gupta
4- Principal of Banking- Dr.H.C.Sharma